


11/2006 ब्रह्मराम - रामकुमार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25-4-18	<p>कार - कार कावाज दिलाइ गई। कंपोर्ट एवं उनके वकील कोई होजर नहीं कामे। कार कदम होजरी एवं कदम प्रवरी साबित होने से कंपोर्ट श्वोरिज की जाती है। फजावली बाद तबतीव तकमील श्वोरिवल इफतर हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p> धु-प्रबन्ध अधिकारी एवं श्रीन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p> <p>सत्यमेव जयते</p>	

Web Copy - Not Official